न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय, चन्दौली
उपस्थितः पारितोष श्रेष्ठ, एच.जे.एस. J.O. Code UP-1580
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या– /2026
सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–18/2018 सरकार बनाम विजय बहादुर सिंह व अन्य

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम करजहरा, थाना धीना, जनपद चन्दौली।
2. मनिन्द्र सिंह पुत्र जमुना सिंह निवासी ग्राम माधोपुर, थाना धीना, जनपद चन्दौली।

.....अभियुक्तगण

।। **बनाम** ।।

राज्य उत्तर प्रदेश .....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं : 198 सन् 2017,
धारा : 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट,
थाना : सकलडीहा,
जनपदः चन्दौली।

दिनांकः 19.02.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह एवं मनिन्द्र सिंह पुत्र जमुना सिंह की ओर से मु.अ.सं 198 सन् 2017, अंतर्गत धारा–3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली के केस में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दातागण द्वारा कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा गलत एवं झूठे कथानक के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध स्थानीय थाना पर दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमे में दौरान विवेचना माननीय उच्च न्यायीलय, इलाहाबाद द्वारा दाखिल प्रकीर्ण रिट पिटिशन संख्या 4652/2018 में आदेश दिनांक 26.02.2018 को गिरफ्तारी रोक का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय दाखिल प्रकीर्ण रिट पिटीशन संख्या 4652/2018 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 226 का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2018 का आदेश संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस मुकदमा/मामले मु.अ. सं. 198/2017 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली में पारित आदेश के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्रीमती बच्ची देवी बनाम राज्य व अन्य मुकदमे के आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट का भी जिक्र किया गया है। प्रार्थी को क्योंकि पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अरेस्ट स्टे पर रोक व विवेचना में सहयोग का आदेश मिला हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय में सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट व माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद में श्रीमती बच्ची देवी बनाम राज्य व अन्य में दिये आदेश के आधार पर प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष न ही कोई किसी भी प्रकार की जमानत लेना है और न ही न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करना है और न ही न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को कस्टडी में लेने का आदेश देना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रार्थी को हाजिर होकर जमानतदार न्यायालय के समक्ष देने को कहा गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पलायन की कोई संभावना नहीं है। उक्त कथन करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को माननीय उच्चतम न्यायालय में श्रीमती सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट व माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद में श्रीमती बच्ची देवी बनाम राज्य व अन्य में दिये आदेश के आधार पर प्रार्थीगण की जमानत मुकदमे के निस्तारण तक स्वीकृत करते/मानते हुए उचित मुचलका व जमानतदार भरे जाने का आदेश देने की याचना की गयी है। समर्थन में क्रिमिनल मिस0 रिट पेटीशन नम्बर 4652/2018 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2018 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह आख्या दी गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह एवं मनिन्द्र सिंह को आरोप पत्र प्रेषित होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी थी। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित है जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है। अतः विधितः आदेश पारित किया जाय।

Digitally signed by PARITOSH SHRESHTHA
Date: 2026.03.11 10:31:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र पर मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निम्नांकित तथ्यों को दृष्टिगत किया गया–

1. प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थी/अभियुक्तगण पारस यादव व भूपेन्द्र यादव **बेस प्रकरणों में जमानत पर हैं जैसा कि गैंगचार्ट पर दर्शित है।**

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में गैगेस्टर एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरुद्ध **क्रिमिनल मिस0 रिट पेटीशन नम्बर 4652/2018 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2018 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है,** जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

> However, considering the peculiar facts and circumstances of the case and the submissions advanced by learned counsel for the parties, we dispose of this writ petition with the direction that the petitioner(s) shall not be arrested in the aforementioned case till submission of police report under Section 173(2) Cr.P.C. However, petitioner(s) shall participate and co-operate with the investigation and the police authorities are directed to conclude the investigation within a period of three months from today.
>
> With the aforesaid observations, the instant writ petition is finally disposed of.

3. ऐसे में उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष **क्रिमिनल मिस0 रिट पेटीशन नम्बर 4652/2018 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2018 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 के द्वारा धारा 173(2) द.प्र.सं. के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने तक अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है।**

प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। **<u>प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है।</u>** विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या 16 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रि0मि0०रिट0 पेटिशन नं0–**4652/2018 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2018** का इन्द्राज भी किया गया है। बेस केस में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकी है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत विधि व्यवस्था **APPLICATION U/S 528 BNSS No.-6400 of 2025, Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P. and Another** के प्रस्तर **38** में निम्न निर्देश दिये गये :–

DIRECTIONS-

38. Based on the foregoing deliberations, and to give effect to the constitutional guarantees under Article 21 of the Constitution of India, this Court, in exercise of the powers vested in it under Article 227 of the Constitution and Section 528 of the BNSS, and to secure the ends of justice as well as to implement the directions issued in Satender Kumar Antil (supra), hereby directs as follows:

(i) All District Judges shall ensure that, in cases where the charge-sheet has been filed without arrest- **whether because custodial interrogation was not effected during investigation by Investigating Officer, or the accused had secured anticipatory bail/protective orders under Article 226 of the Constitution or Section 528 of the BNSS and duly cooperated during investigation- the trial court shall not remand the accused to judicial custody upon appearance** pursuant to summons, nor insist upon filing of regular or anticipatory bail applications. The accused shall be permitted to appear and furnish a personal bond at the first instance, in terms of Musheer Alam (supra) and Satender Kumar Antil (supra)5. The requirement of surety under Section 91 BNSS may be considered subsequently at the court's discretion to ensure appearance of the accused.

(ii). At the stage of proceedings under Sections 88, 170, 204, and 209 Cr.P.C. (corresponding sections 91, 190, 227 and 232 of BNSS), the trial court- whether presided over by a District Judge, Additional District and Sessions Judge, or Magistrate- shall inform the accused of his right to furnish a personal bond at the first instance, and may require surety subsequently, if necessary.

(iii). Immediately after appearance of accused in response to summons, the court shall comply with Sections 230 and 231 of BNSS, 2023, committing the case to the court of session when exclusively triable by it, and proceed to the next trial stage without unnecessary delay.

(iv). **<u>For the sake of clarity, when the trial court encounters such anticipatory bail or protective orders under Article 226 or Section 528 BNSS specifying protection till the filing of the charge-sheet, or direct that "no coercive action"/"stay on arrest shall operate until filing of charge sheet", these protections shall be deemed to continue until the conclusion of trial,</u>** in line with Gurbaksh Singh Sibbia (supra), Sushila Aggarwal (supra), Sidharth (supra), Satender Kumar Antil (supra), and Musheer Alam (supra) unless supported by with cogent reasons, making out an exceptional case. This direction aligns with the consistent position adopted by the Supreme Court, beginning with Gurbaksh Singh Sibbia (supra), affirmed in Sushila Aggarwal (supra), clarified in Sidharth (supra), and reiterated in Satender Kumar Antil (supra) and Musheer Alam (supra). A reference may be invited to paragraphs 43, 44, 46 and 47 of the order dated 11.7.2022; paragraph no.3 of order dated 7.10.2021; paragraph no.6 of order dated 16.12.2021; paragraph no.4, 5 and 6 of order dated 21.3.2023; paragraph nos.7(ii) of order dated 2.5.2023; paragraph nos.229 to 239 of the order dated 13.2.2024; paragraph nos.79 to 85 of the order dated 6.8.2024 passed in Satender Kumar Antil v. CBI, [all the orders mentioned hereinabove have been passed by Supreme Court in SLP (Crl.) No.5191 of 2021].

अतः अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना तथा अभियुक्तगण उपरोक्त की माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्था **APPLICATION U/S 528 BNSS No.-6400 of 2025, Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P. and Another** के प्रस्तर 38 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालन में मामले के गुण–दोष पर बिना मत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह एवं मनिन्द्र सिंह पुत्र जमुना सिं**ह की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु0–50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उनको निम्नांकित निर्धारित शर्तो के अधीन मुकदमें के निस्तारण तक जमानत पर रिहा किया जाए–

(1) अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे।

(2) अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।

(3) अभियुक्तगण उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई दुष्प्रेरण, धमकी या वचन नही देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगे।

(4) अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व आज्ञा के बिना भारत नही छोड़ेंगे।

(5) **अभियुक्तगण न्यायालय में यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह क्रिमिनल मिस0 रिट पेटीशन संख्या–4652/2018 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 2 अन्य में पारित निर्णय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

दिनांकः 19–02–2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय,
चन्दौली।